<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 12/2023 (राजसमन्द डिक्री)</u>

नरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जी, जाति चुण्डावत राजपूत, निवासी केलवा रोड़, आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. पुष्पेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जी, जाति चुण्डावत राजपूत, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कन्हैयालाल पिता रामलाल गुर्जर, निवासी महासिंगजी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. केसरसिंह पिता चतरसिंह जी, जाति राव राजपूत, निवासी उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जी, जाति चुण्डावत राजपूत, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राज्य जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. पटवारी हल्का आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान

काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व

डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक

11.01.2017 प्र0 सं0 149/05, 30/10

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 1

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 08–08–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 मृतक रघुवीरसिंह ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में वर्णित आराजियात कुल किता 14 रकबा 5.9700 हैक्टर भूमि ग्राम आमेट में स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर जमाबन्दी में दर्ज है। भूमि सहखातेदारी में होने से विकास नहीं हो पा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:25 IST
Reason: SelfAttested

1 फसलों में हस्तक्षेप करते हैं। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा पृथक से अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं प्रतीपवाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा है। अतः प्रतीपवाद स्वीकार कर इस अनुसार विभाजन किया जावे।

दिनांक 21–11–2012 को वादी द्वारा वाद विड्रो किये जाने एवं प्रतिवादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11–12–2012 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद विड्रो किया तथा क्रेता केसरसिंह व रामलाल को पक्षकारान बनाने का आदेश पारित किया तथा दिनांक 11–01–2017 को प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के आधार पर प्रतीपवाद की कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, लेकिन विवादित भूमि अपीलान्ट की पैत्रृक भूमि है, जिसे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने पक्ष में वसीयत बताते हुए भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जिस विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय ने अपने मुकाबले निष्प्रभावी बताया है उसे अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है। उक्त निर्णय की जानकारी होते ही यह अपील पेश करना आवश्यक हो गया है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की [illegible] प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में विवादित आराजियात में अपीलान्ट अपने पिता रघुवीरसिंह का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का 2/3 हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट के पिता रघुवीरसिंह ने उक्त आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए वर्ष 2005 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद कार्यवाही दिनांक 10–10–2011 को विवादित आराजियात में से अपना हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11–12–2012 को क्रेतागणों को पक्षकार बनाया है तथा उसी दिनांक को अपीलान्ट के पिता वादी रघुवीरसिंह द्वारा वाद विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से उसका वाद विड्रो किया गया है। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि जब अपीलान्ट के पिता रघुवीरसिंह द्वारा अपना समस्त हिस्सा विक्रय किया जा चुका है तथा अपना वाद भी विड्रो कर लिया है तो हम उसके पुत्र अपीलान्ट का उक्त आराजियात में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपीलान्ट आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार साबित नहीं होने से अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 11–01–2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:25 IST
Reason: SelfAttested